सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

क्रमांक : न्यायालय राजस्व/2023/प्र०सं०–148/2023 दिनांक : 7 अगस्त, 2023

:: खाता शुद्धि आदेश ::

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 एवं 136 अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम सांगरिया की हाल आराजी नम्बर 480 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 बिलानाम सरकार एवं आराजी नम्बर 485/634 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 बिलानाम सरकार होकर हाल नक्शा में संयुक्त रूप से तरमीम है। आराजी नम्बर 485/634 की तरमीम एक गोल आकृति बनाकर की हुई है, जिसका रकबा 0.01 हैक्टेयर से भी कम है। गत भू–प्रबन्ध के नक्शा एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 480 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि के साबिक आराजी नम्बर 388 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा है तथा हाल आराजी नम्बर 485/634 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि के साबिक आराजी नम्बर 394 मी. रकबा 2 बीघा दर्ज रिकार्ड है। गत नक्शा अनुसार भी उक्त हाल आराजियात के गत आराजी नम्बर 388 एवं 394 का नक्शा संयुक्त रूप से बना हुआ है। रकबा अनुसार साबिक आराजी नम्बर 388 का नक्शा गत आराजी नम्बर 393 व 387 के बीच पूर्वी दिशा में बंद होना चाहिए। इसी अनुसार हाल आराजी नम्बर 480 का रकबा हाल आराजी नम्बर 485, 479 के बीच पूर्वी दिशा में प्रस्तावित नक्शा अनुसार बंद कर तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

हाल आराजी नम्बर 485/634 राजस्व नक्शे में छोटा सा गोला बनाकर दर्शाया गया हैं जिसका रकबा मात्र 0.01 हैक्टेयर हैं जबकि आराजी नम्बर 485/634 का रकबा 0.51 हैक्टेयर है। अतः आराजी नम्बर 485/634 के छोटे गोले को नक्शे में से हटाया जाकर आराजी नम्बर 485/634 रकबा 0.51 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 480 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित अनुसार आराजी नम्बर 485 एवं 479 के मध्य पूर्वी दिशा में बंद कर तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार, निम्बाहेडा आदेशानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवावें।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

क्रमांक : न्यायालय राजस्व/2023/प्र०सं०–148/2023 दिनांक : अगस्त, 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवावें।
2. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:23 IST
Reason: SelfAttested